किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
(अधीक्षक कार्यालय)
गाँधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ-226003

पत्र संख्या : 22284 दिनांक : 01/10/2021.

नोटिस

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में वर्ष 2021-2022 की सीनियर रेजीडेण्ट (अपंजीकृत) की रिक्त सीटों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी लिखित परीक्षा दिनांक 18 सितम्बर 2021 एवं प्रथम काउंसिलिंग दिनांक 27 सितम्बर 2021 को सम्पन्न हो चुकी है।

अतः लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए अर्ह अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-2022 की सीनियर रेजीडेण्ट (अपंजीकृत) की रिक्त सीटों की द्वितीय काउंसिलिंग दिनांक 07 अक्टूबर 2021 को प्रस्तावित है, जिसका विवरण क्रमशः निम्नवत् है :-

• द्वितीय काउंसिलिंग की तिथि	: **दिनांक 07 अक्टूबर, 2021**
• द्वितीय काउंसिलिंग का स्थान	: कलाम सेन्टर, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
	: प्रातः 10:00 बजे से काउंसिलिंग समाप्त होने तक।

आवश्यक निर्देश :

- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अनिवार्य शासकीय सेवा बॉण्ड के शासनादेश संख्याः 950/71-2-82/2017 दिनांक 07 मार्च 2018 के द्वारा नियोजित करने हेतु सीटों की संख्या घट-बढ सकती है।
- **अनिवार्य शासकीय सेवा बॉण्ड के शासनादेश संख्याः 950/71-2-82/2017 दिनांक 07 मार्च 2018 के द्वारा नियोजित अभ्यर्थियों द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0, लखनऊ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
- काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु काउंसिलिंग शुल्क नहीं जमा किया जायेगा।
- आरक्षण से सम्बंधित प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्गत प्रपत्र पर ही मान्य होगा, आरक्षण से सम्बंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, (High School, Intermediate, MBBS, Post Graduate etc.) आधार कार्ड, पैन कार्ड मूलरूप के साथ-साथ एक सेट छायाप्रति एवं 04 पास-पोर्ट साइज फाटोग्राफ साथ काउंसिलिंग में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- लिखित परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्तावित काउंसिलिंग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- काउंसिलिंग में उपस्थित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- यदि किसी काई अभ्यर्थी किसी राजकीय/केन्द्रीय सेवाओं अथवा अन्य में सेवारत् है तो ऐसी अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- सीनियर रेजीडेन्सी हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-6469 सेक-14/पॉच-250/82 दिनांक 12 अक्टूबर, 1990 में निहित व्यवस्था के अनुसार ही सुविधायें अनुमन्य होगी।
- <u>रिक्तियों की सूचना काउंसिलिंग तिथि व स्थल पर प्रदर्शित की जायेगी।</u>
- उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्याः 6/2019/4/1/2002/का-2/19टी0सी0-1 दिनांक 23 अक्टूबर 2019 के बिन्दु संख्या-4 के अनुसार
  4. भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-36039/1/2019-&Estt.(Res.), दिनांक 31.01.2019 के प्रस्तर-6.3 में निम्न व्यवस्था है :- "**Where in any requirement year any vacancy earmarked for EWS cannot be filled up due to non availability of a suitable candidate belonging to EWS, such vacancies for that particular recruitment year shall not be carried forward to the next recruitment year as backlog.**"
- समस्त सूचनाये विश्वविद्यालय के वेब-साईट www.kgmu.org पर प्रदर्शित की जायेगी तथा किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सूचनाएं नहीं दी जाएगी।

चिकित्सा अधीक्षक
गाँधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय,
के0जी0एम0यू0, लखनऊ।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित कों सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, गाँधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ।
2. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
3. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
4. अधिष्ठाता, चिकित्सा संकाय, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
5. कुलानुशासक, के0जी0एम0यू0, लखनऊ
6. परीक्षा नियंत्रक, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
7. **फैकल्टी प्रभारी, आई0टी0 सेल, के0जी0एम0यू0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त नोटिस को के0जी0एम0यू0 की वेब-साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।**
8. **फैकल्टी प्रभारी, कलाम सेन्टर, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।**
9. मा0 कुलपति जी के निजी सचिव को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।